

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—एपीएआर/परिपत्र/2012-13/48936-9035 दिनांक :-08.01.2013

स्थायी आदेश 01/2013

विषय—वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ स्वयं के कार्य का विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वयं का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्ति करके प्रतिवेदक अधिकारी को प्रेषित किया जाता है जिस पर संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा कार्मिक के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है।

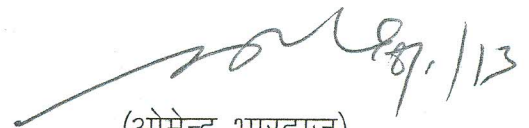
अधीक्षक/प्रभारी केन्द्रीय कारागृह, उप अधीक्षक/प्रभारी जिला कारागृह, उप अधीक्षक/प्रभारी, महिला सुधारगृह, प्रभारी युवा बंदी सुधारगृह तथा प्रभारी उप कारागृह के कार्य संपादन का पारदर्शी समग्र मूल्यांकन करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिकारीगण स्वयं द्वारा समीक्षाधीन अवधि के दौरान किये गये कार्य का विवरण संलग्न प्रारूप में अंकित कर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर प्रतिवेदक अधिकारी को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे।

वित्तीय वर्ष के दौरान कारागृह/उप कारागृह के प्रभारी का वर्ष में 3 माह से अधिक पदस्थापन के पश्चात् अन्यत्र पदस्थापन होने पर उसके द्वारा प्रभारी के रूप में किये गये कार्य का विवरण संलग्नक में पूर्ति कर स्वयं के प्रतिवेदक अधिकारी को वित्तीय वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं कर अविलम्ब प्रेषित किया जाना चाहिये।

अतः वर्ष 2012-13 तथा आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ वॉछित सूचनाएं निर्धारित किये गये इस प्रारूप में प्रतिवेदक अधिकारी को प्रेषित

की जायें। प्रतिवेदक अधिकारियों द्वारा संलग्नक का अध्ययन कर कार्य मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार—प्रारूप



(ओमेन्द्र भारद्वाज)

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
3. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, घूघरा, अजमेर
5. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला कारागृह 'ए' एवं 'बी' श्रेणी
/ महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
6. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान
7. प्रभारी, बाल बंदी सुधारगृह, जैतारण, जिला— पाली
8. कार्यालय अधीक्षक— स्थायी आदेशों की गार्ड फाईल संधारण हेतु।



महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान, जयपुर

स्थायी आदेश क्रमांक 01/2013

वार्षिक कार्य विवरण

वर्ष.201..-1.. (अवधि दिनांक.....से.....तक)

(अधिकारी स्वयं के APAR के साथ संलग्न कर प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करें)

I-बंदी फरारी एवं मृत्यु

1. कारागृह से फरारी की घटनाएं
क- स्वयं के कारागृह से _____
ख- स्वयं के अधीन अन्य जिला/उप कारागृहों से _____
2. कारागृह में बंदी मृत्यु की घटनाएं
क- स्वयं के कारागृह में _____
ख- स्वयं के अधीन अन्य जिला/उप कारागृहों में _____

II-निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी

क.सं.	निषिद्ध वस्तु का नाम	आलौच्य वर्ष में	गत वर्ष में
1.	मोबाईल एवं सिम कार्ड		
2.	अन्य निषिद्ध उपकरण		
3.	हथियार		
4.	नशीले पदार्थ		

III- बंदी शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति (स्वयं के अधीन कारागृह में)

1. ओपन स्कूल परीक्षा के लिये भरवाये गये परीक्षा फार्मों की संख्या _____
2. इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सेज के लिये भरवाये गये परीक्षा फार्मों की संख्या _____
3. आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु भेजे गये प्रवेश पत्रों की संख्या _____

IV-बंदी अनुशासन

1. स्वयं द्वारा दण्डित किये गये बंदियों की संख्या _____
2. विशेष परिहार के लिये कितने बंदियों के नाम अभिशंसा कर मुख्यालय भेजे गये ? _____

V-जेल उद्योग

क.सं0	विवरण	आलौच्य वर्ष राशि रु0 में	गत वर्ष राशि रु0 में
1.	उत्पादित माल का मूल्य		
2.	विक्रय किये गये उत्पाद का मूल्य		
3.	सृजित किये गये मानव दिवसों की संख्या		
4.	भुगतानशुदा मजदूरी की राशि		

VI-कार्मिकों को दण्ड एवं पुरस्कार

1. स्वयं द्वारा प्रारम्भ की गई विभागीय जाँच _____
2. उक्त जाँचों में दण्डित किये गये कर्मियों की संख्या _____
3. प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त कितने आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए प्रकरण मुख्यालय भेजे गये ? _____
4. स्वयं द्वारा पुरस्कृत कर्मियों की संख्या _____
5. कार्मिकों की संख्या जिन्हें मुख्यालय द्वारा पुरस्कृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई। _____

VII-निरीक्षण संबंधी सूचना

क्र. सं.	कारागृह का प्रकार	मापदण्ड के अनुसार किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या	स्वयं द्वारा किये गये वास्तविक निरीक्षणों की संख्या
1.	केन्द्रीय कारागृह		
2.	जिला कारागृह		
3.	उप कारागृह		
4.	खुला बंदी शिविर		

VIII-श्रेष्ठ कार्य का विवरण (यदि कोई हो-आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें)

दिनांक

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

पदस्थापन-----